



## कार्यालय

### अधिशासी अभियन्ता

**मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०,**

**विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद, हरदोई**

Phone & Fax No: 05852-261000,

E-mail : [eddshahabad.hardoi@gmail.com](mailto:eddshahabad.hardoi@gmail.com)

पत्रांक: १५२४० / वि०वि०ख०श०ह० / पी०एफ०

दिनांक : ..... १५/३/..... 2024

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के आदेश राख्या 469-चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015 निदेशक (वितरण) दिनांक 25.04.2015 एवं पत्र संख्या 696-कार्य-चौदह/पाकालि/2015-16 के/2015/निदेशक (वितरण) दिनांक 29.06.2015 में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में आपके निजी नलकूप पोर्टल आवेदन क्रमांक 1008341799 के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विद्युत भार एवं धनराशि जमा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है-

| क्र०सं० | आवेदक का नाम व पता   | आवेदन क्रमांक | रवीकृत भार | श्रेणी | प्रयोजन    | रशीद सं०/ दिनांक           |
|---------|--|---------------|------------|--------|------------|----------------------------|
| 1       | श्री चंदन पुत्र श्री कृष्ण नन्द निं० ग्राम व पो० हरियावां ब्लाक हरियावां, हरदोई। | 1008341799    | 8 HP       | LMV-5  | निजी नलकूप | YIC42141125569/ 11.11.2023 |

उपरोक्त विद्युत भार की स्वीकृति तथा उसका अवगुक्त करना निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन है-

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| सामग्री का मूल्य         | रु० | 87372.00        |
| मीटर की कीमत             | रु० | 2921.00         |
| मीटर लेबर चार्जेज        | रु० | 2036.00         |
| पतिभूति धनराशि           | रु० | <u>2400.00</u>  |
| जमा करने हेतु कुल धनराशि | रु० | <u>94729.00</u> |

धनराशि शब्दों में— (चौरानवे हजार सात सौ उन्तीस रुपये मात्र)

#### नियम व शर्तें—

- विद्युत प्रणाली ओवरलोड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई की कुल विद्युत आपूर्ति के ब्रेकडाउन लोडशेडिंग तथा लो बोल्टेज की समस्याएँ विद्यमान रहें।
- इस आदेश के निर्गत होने से दो वर्ष की अवधि में उपभोक्ता द्वारा ऊपरलिखित विद्युतभार उपभोग न करने की दशा में भी उक्त स्वीकृतभार स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।
- यह रवीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिवन्धित है कि उपभोक्ता को इस विद्युतभार के उपभोग के पूर्व उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण परिपद (य०पी० पायलूशनकन्ट्रोल बोर्ड) विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा लाइसेंस (यदि आवश्यक हो) भी प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह आदेश निरस्त माने जायेंगे।
- उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के नियमों के अन्तर्गत की जायेगी, परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-२ पर आवश्यकतानुसार रोस्टिंग तथा आपात कालीन रोस्टिंग की जा सकती है।
- विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन के लागूरेट शेड्यूल में निहित बोल्टेज पर ही दी जायेगी।
- उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में कारपोरेशन को किसी भी ट्रंक लाइन को टेप करके अवगुक्त नहीं किया जायेगा।
- किसी भी दशा में शहरी पोषक की नगरपालिका/नगरमहापालिका/टाउन ऐरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युतभार अवगुक्त नहीं किया जायेगा।
- स्वतन्त्र पोषक द्वारा विद्युतभार अवगुक्त करने हेतु कारपोरेशन द्वारा समय-२ पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि कालम २ में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले कोई कनेक्सन रहा हो तो उक्त स्वीकृत भार तब तक नहीं विगुक्त (रिलीज) किया जायेगा, जब तक उस पुराने कनेक्सन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया कारपोरेशन में धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जाये।
- यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता और परिपद के मध्य कोई न्यायाधिक विवाद अथवा कोर्ट के सलम्बित हो तो उस दशा में भी विद्युतभार विगुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा।
- कारपोरेशन द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात ही विद्युतभार विमुक्त किया जायेगा।
- कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में १८ घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत आपूर्ति स्वतन्त्र पोषक (इन्डेपेन्डेंट फीडर) से की जायेगी। इस हेतु नया स्वतन्त्र फीडर बनाना आवश्यक हो तो उसके निर्माण के होने वाला व्यय रवयं उपभोक्ता को घटन करना होगा।
- विपरीत प्रणाली दशाओं/आपातकालीन रोस्टिंग अथवा विद्युत कटौती की स्थिति में आवश्यक विद्युत/मांग बनाये रखने के लिये लाभोगता को संदेश दिया जाता है कि उपयुक्त क्षमता का जनरेटिंग सेट लगा ले, जिसके लिये परिपद की पुर्वानुमति अलग से पास कर सकते हैं।

## अनुबन्ध हेतु आवश्यक प्रपत्र एवं कार्यवाही -

- मोटर निरीक्षण शुल्क के रूप में शासकीय कोश में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क ₹ 500.00 जमा करना होगा।
- ऊपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्जेज रूपये की रसीद की दो छायाप्रति प्रस्तुत करें।
- 100.00 ₹ 100.00 नॉनजुडिशियल जनरल स्टाम्प तथा एम 10 ₹ के निर्धारित हलफनामे पर एक-एक फोटो चसपाकर किसी राजपत्रित/ग्रामप्रधान/व्लाकप्रमुख/सदस्यविधानसभा/लोकसभा द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।
- आवेदक के आधारकार्ड की एक छायाप्रति लावें, जिस पर फोटो लगाकर प्रमाणित करायें तथा पूरा नाम व पता एवं मोबाइल नंं लिखें।
- कैपीशिटर खरीद की रसीद की छायाप्रति दो प्रतियों में।
- यदि आपको ऊपर लिखी शर्तें मान्य हों तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे से 01 बजे दोपहर तक किन्हीं दो गवाहों सहित इस कार्यालय में उपस्थित होकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।
- आपको कनेक्शन हेतु लाइन व सवर्टेशन बनवाने हेतु.....मजदूरों की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी।
- आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित विद्युत भण्डार केन्द्र हरदोई से अपने वाहन द्वारा सामान की ढुलाई करनी होगी।
- आपके साथ कारपोरेशन का चतुर श्रमिक/रिकल्डलेवर/जावेगा तथा आप द्वारा श्रमिकों की व्यवस्था करने पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
- मोटर पर निर्धारित क्षमता का कैपीशिटर लगायें।
- आपको अपना पम्पहाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईंट, बालू तथा सीमेंट का प्रबन्ध करना पड़ेगा अतः उसी में से उपयुक्त वर्तुओं की आवश्यक मात्रा अपनी लाइन कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

नोट:-

- सीमेंट, बालू तथा भिट्ठी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्बे तक एमिन पोल तथा स्टे के लिए होगी जिसकीमात्रा निम्नलिखित दर से होगी, प्रति खम्बा तक सीमेंट 0.85 बोरी, बालू 4.55 घनफिट, भिट्ठी 910 घनफिट, सीमेंट 0.35 बोरी, बालू 1.85 घनफिट भिट्ठी 3.77 घनफिट।
- आपके कनेक्शन को विजली तभी दी जायेगी जब आपकी द्वायरिंग पूरी होगी और बी०४४७ एल० फार्म और मोटरडिवलेरेशन फार्म (मोटर मुआयना के ट्रेजरी द्वालान सहित) इस कार्यालय में जमा करें।
- यदि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र पाने के 90 दिन के अंदर पूरी नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और आपका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- कृपया ISIमार्क मोटरों व स्टार्टर का प्रयोग करें।
- अन्तिम खम्बे से आपके परिसर तक जो केबिल लगेगा उसका मूल्य आपसे नहीं लिया गया है। जिसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी है।
- लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- आवेदक द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात ही संयोजन ऊर्जाकृत हो सकेगा।
- उपरोक्त नियम व शर्तों में परिवर्तन होना सम्भावित है तथा संशोधन नियम शर्तें आपको मान्य होंगी।
- जमायोजनान्तर्गत कनेक्शन लेने पर, धनराशि जमा करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त वरीयता क्रमानुसार संयोजन दिया जायेगा।
- आपके परिसर पर मीटर स्थापित होने के उपरान्त ही संयोजन निर्माण किया जायेगा। यदि बिना मीटर के कनेक्शन चलता पाया जायेगा तो आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से आप जिम्मेदार होंगे।

## मध्यांचल विद्युत वितरण मण्डल, हरदोई

पत्रांक: १८२८० / वि०वि०ख०शा०ह० / पी०एफ०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपखण्ड अधिकारी, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, विद्युत वितरण उपखण्ड शाहाबाद/पिहानी/सवायजपेंगु, हरदोई।

दिनांक : ..... १५.३.2024

(विनोद कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

(विनोद कुमार)

अधिशासी अभियन्ता